15-1-2021

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र नाम तर्क (रेस्पो0 संख्या 11) व नाम संशोधन करने बाबत् एवं प्रार्थना पत्र वास्ते अपील निरस्त फरमाने बाबत् तथा आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 हेतु पेश हुई ।

अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी ने अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वास्ते नाम तर्क किये जाने एवं संशोधन किये जाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 11 के अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है इसलिये अप्रार्थी संख्या 11 का नाम तर्क किया जावे । इसके अतिरिक्त अपीलमीमों में सहवन से रेस्पो0 संख्या 18 गंगादेवी पत्नि कालूसिंह के स्थान पर गंगादेवी पत्नि पुष्पेन्द्रसिंह लिखा था । रेस्पो0 संख्या 18 गंगादेवी पत्नि पुष्पेन्द्रसिंह के स्थान पर गंगादेवी पत्नि कालूसिंह अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियत 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 11 श्रीमती मैथी पुत्री बद्धासिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे ।

प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 18 श्रीमती गंगादेवी ने प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रार्थना पत्र निरस्त कराये जाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह ठोस तथ्यों के आधार पर पेश नहीं की गई है न ही अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी/अपीलांट के राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित हो । बिना आधार दस्तावेज के वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । इस कारण वादी/अपीलांट का वाद व अपील खारिज किये जाने योग्य है । सुविधा का संतुलन भी वादी/अपीलांट के पक्ष में नहीं है क्योंकि अधी0न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुने जाने का पूर्ण अवसर दिनांक 6.4.2015, दिनाक 19.10.2015 एवं दिनांक 21.1.2016 व दिनांक 14.2.2017 को दिया गया था परन्तु अपीलांट द्वारा आदेशिका की पालना नहीं की गई । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत कोर्ट कैम्प नरबदखेड़ा वाद संख्या 42/2013 व 25/2013 के माध्यम से निस्तारित किया है । वादी/अपीलांट का दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी व प्रतिवादियों का नाम अंकन नहीं है इस कारण खातेदारी अधिकार वादी/अपीलांट को नहीं होने से दावे करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है । अप्रार्थी संख्या 18 द्वारा कालूसिंह पिता बुद्धासिंह के द्वारा क्रय कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो कर कब्जा काश्त करती चली आ रही है । वादी/अपीलांट का न ही पूर्व में कब्जा रहा है न ही हक अधिकार रहा है । वादी/अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 18 को तंग करने की नियत से पेश की है । वादी/अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित नहीं होती है क्योंकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में प्रार्थी/अपीलांट का नाम अंकित नहीं है और न ही कब्जा रहा है । रेस्पो0 संख्या 18 गंगा रावत ने उक्त विवादित खसरे कालूसिंह पिता बुद्धासिंह से क्रय किया है तब से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है । अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 18 का नाम गंगादेवी पत्नी कालूसिंह बताया है जो गलत है इस कारण भी अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है । प्रतिवादी संख्या 13 श्रीमती मैथी पुत्री बुद्धासिंह को पक्षकार बनाया है जबकि दिनांक 8.2.2016 प्रकरण संख्या 42/2017 एवं प्रकरण संख्या 42/2013 प्रतापसिंह पुत्र कालूसिंह में मैथी पुत्री बुद्धा की मृत्यु होने की रिपोर्ट का अंकन है

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O.

निरन्तर..

जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्ण रूप से थी । इसके बावजूद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 1899/2017 प्रतापसिंह बनाम हरिसिंह में प्रतिवादी संख्या 11 को पुनः जीवित करते हुए पक्षकार बनाया है । इस कारण भी अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है । अपीलांट द्वारा दिनांक 31.7.2019 को न्यायालय हाजा के समक्ष दिनाक 31.7.2019 को नाम तर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 11 का कोई विधिक वारिसान नहीं है जो झूंठे कथनों पर पेश किया गया है । अपीलांट संख्या 11 मैथी पुत्री बुद्धा बेवा पदमसिंह की मृत्यु के बाद लक्ष्मण एवं करमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के बाद राजस्व ग्राम कालिंजर की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में मैथी पुत्री बुद्धासिंह पत्नी पदमसिंह के वारिसानों के नाम अंकन हो चुकी है । उक्त वारिसानों के संबधं में ग्राम पंचायत राजियावास पंचायत समिति जवाजा के सरपंच द्वारा दिनांक 2.7.2020 को जारी प्रमाणित सजरा संलग्न है । इस कारण भी वादी/अपीालंट द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र दावा झूंठे कथनों के आधार पर होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अपील निरस्त किये जाने स्वीकार किया जाकर अपील खारिज की जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटस द्वारा दिनांक 31.7.2019 को अप्रार्थी संख्या 11 मैथी पुत्री बुद्धासिंह के कोई विधिक वारिसान नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 11 मैथी पुत्री बुद्धासिंह का नाम विलोपित करने एवं रेस्पो0 संख्या 18 गंगादेवी पत्नि कालूसिंह के स्थान पर गंगादेवी पत्नि पुष्पेन्द्रसिंह का संशोधन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया । इसका जवाब रेस्पो0 संख्या 18 गंगादेवी प्रस्तुत कर विरोध किया एवं जवाब के क्रम संख्या 6 में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 13 मैथी पुत्री बुद्धासिंह जो कि वर्तमान अपील में रेस्पो0 संख्या 11 के रूप में संयोजित किया है उसका स्वर्गवास दिनांक 8.2.2016 को हो चुका है एवं जिसके अन्य वारिसान है इसके बावजूद वारिस नहीं होने का झूंठा कथन कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । तत्पश्चात् अपीलांटस द्वारा दिनांक 9.12.2020 प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 11 मैथी पुत्री बुद्धासिंह के वारिसान 11/1 लगायत 11/13 है जिसकी जानकारी दिनांक 11.9.2020 को होने का कथन कर उक्त वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है । परन्तु रेस्पो0 संख्या 18 के जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 में शपथ पत्र के साथ इस तथ्य का कथन किया कि मैथी पुत्री बुद्धासिंह का स्वर्गवास दिनांक 8.2.2016 को हो चुका है । प्रकरण संख्या 42/13 प्रतापसिंह बनाम कालू सिंह में मैथी पुत्री बुद्धासिंह की मृत्यु की रिपोर्ट होने का स्पष्ट अंकन किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांटस को रही इसके बावजूद भी मृतक श्रीमती मैथी को अपील में पक्षकार कायम कर अपील पेश की गई एवं साथ ही दिनांक 31.7.2019 को प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया कि श्रीमती मैथी पुत्री बुद्धासिंह के अन्य कोई वारिसान नहीं है इस कारण श्रीमती मैथी का नाम अपील से विलोपित किया जावे । इसके उपरांत दिनांक 9.12.2020 को अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि श्रीमती मैथी के वारिसान 11/1 लगायत 11/13 है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जावे । इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांटस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से अपील लेकर नहीं आये है । अधी0न्याया0 के वाद पत्र का अवलोकन किया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निरन्तर ---2

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त रूप से अपने हिस्से की घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया है । यह अनुतोष दूसरे प्रतिवादीगण/रेस्पो0 से भी संबंधित है । रेस्पो0 संख्या 18 द्वारा 2007 (1) आर0एल0डब्ल्यू0 (आर0जे0)(हाई कोर्ट) पेज 100 प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 संख्या 11 श्रीमती मैथी पुत्री बद्धासिंह जिसका स्वर्गवास दिनांक 8.2.2016 को अपील दिनांक 29.8.2017 को पेश करने से पूर्व ही हो चुका था जिसकी जानकारी अपीलांटस को रही इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा मृतक मैथी के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है । चूंकि वाद में अनुतोष संयुक्त रूप से सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाहा गया है इस कारण संपूर्ण अपील ही खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.7.2019 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 9.12.2020 निरस्त किये जाते है एवं साथ ही अपील मृतक मैथी के विरूद्ध पेश किये जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15-1-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर